



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 193) पटना, बुधवार, 11 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
11 फरवरी 2026

सं० वि०सं०वि०-02/2026-713/वि०सं०।—“बिहार विनियोग विधेयक, 2026”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-11 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-01/2026]

बिहार विनियोग विधेयक, 2026

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2025-26 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 12165,43,72,000 (बारह हजार एक सौ पैसठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 12165,43,72,000 (बारह हजार एक सौ पैसठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	3,000	0	3,000
02	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	11,54,48,000	0	11,54,48,000
03	भवन निर्माण विभाग	पूंजी	1,90,47,00,000	0	1,90,47,00,000
		राजस्व	5,11,03,95,000	0	5,11,03,95,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	7,41,15,000	0	7,41,15,000
05	राज्यपाल सचिवालय	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
07	निगरानी विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	9,00,000	0	9,00,000
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	63,41,24,000	0	63,41,24,000
10	ऊर्जा विभाग	पूंजी	31,87,00,000	0	31,87,00,000
		राजस्व	3,49,47,00,000	0	3,49,47,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
12	वित्त विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,43,77,000	0	2,43,77,000
13	सूद भुगतान	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
15	पेंशन	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	2,90,00,000	2,90,00,000
16	पंचायती राज विभाग	पूंजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
		राजस्व	3,48,42,74,000	0	3,48,42,74,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	3,21,22,00,000	0	3,21,22,00,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पूंजी	1,65,55,000	0	1,65,55,000
		राजस्व	85,07,11,000	0	85,07,11,000
20	स्वास्थ्य विभाग	पूंजी	8,72,50,00,000	0	8,72,50,00,000
		राजस्व	5,77,11,61,000	0	5,77,11,61,000
21	शिक्षा विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,85,66,01,000	0	2,85,66,01,000
22	गृह विभाग	पूंजी	2,57,85,00,000	0	2,57,85,00,000
		राजस्व	1,07,00,45,000	0	1,07,00,45,000
23	उद्योग विभाग	पूंजी	11,36,00,000	0	11,36,00,000
		राजस्व	17,12,17,29,000	0	17,12,17,29,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	23,80,00,000	0	23,80,00,000
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	9,73,00,000	0	9,73,00,000
27	विधि विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	31,91,01,000	0	31,91,01,000
28	उच्च न्यायालय	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूंजी	7,08,66,000	0	7,08,66,000
		राजस्व	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
32	विधान मंडल	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	6,50,00,000	4,80,000	6,54,80,000
33	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	5,36,00,000	0	5,36,00,000
34	बिहार लोक सेवा आयोग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	12,10,00,000	12,10,00,000
35	योजना एवं विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
		राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूंजी	11,34,50,00,000	0	11,34,50,00,000
		राजस्व	1,02,16,00,000	0	1,02,16,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	4,40,00,00,000	0	4,40,00,00,000
		राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	24,24,45,00,000	0	24,24,45,00,000
43	विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	55,81,33,000	0	55,81,33,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	98,00,00,000	0	98,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,12,85,000	0	2,12,85,000
46	पर्यटन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,55,00,000	0	2,55,00,000
47	परिवहन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	8,00,000	0	8,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	4,31,21,00,000	0	4,31,21,00,000
49	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	80,86,09,000	0	80,86,09,000
51	समाज कल्याण विभाग	पूंजी	30,20,00,000	0	30,20,00,000
		राजस्व	6,94,32,34,000	0	6,94,32,34,000
52	खेल विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	14,27,00,000	0	14,27,00,000
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,67,26,000	0	1,67,26,000
योग राजस्व			86,66,89,71,000	15,04,80,000	86,81,94,51,000
योग पूंजी			34,83,49,21,000	0	34,83,49,21,000
महायोग			1,21,50,38,92,000	15,04,80,000	1,21,65,43,72,000

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2025, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भागों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 12165,43,72,000 (बारह हजार एक सौ पैसठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 11.02.2026

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 193-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>